DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प.2(89)/DOIT&C/2025/15683314

जयपुर, दिनांकःईहस्ताक्षर

कार्यालय आदेश

स्व. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, (सहायक प्रोग्रामर) जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर, (राज.) का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 01.03.2025 को निधन हो गया था। इनकी धर्मपत्नी **श्रीमती कीर्ति (अन्य पिछडे वर्ग)** को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर, (राज.) के पत्र क्रमांक 00216/2025, दिनांक 24.04.2025 के द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत किया। अतः श्रीमती कीर्ति को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **आयुक्तालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर, (राज.)** में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Fixed remuneration to probationer trainees) के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती कीर्ति को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण मे पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 के परिपत्र एफ14(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत Schedule IV (Rule No.16) के अनुसरण मे आदेश क्रमांक F.15(1)FD/RULES/2017 PART-IV, दिनांक 11.12.2024 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार अनुसूची–II के अनुभाग 'बी' में, क्रम सं. 1A के अनुसार **नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) रूपये 12600/– प्रति माह की दर से देय होगें।** इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। **परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि** में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules,2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स Level-2 (Second cell) (पूर्व वेतनमान के अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी–1) 5200–20200 (ग्रेड पे. 1750) का न्यूनतम वेतनमान **17900/– रूपये निर्धारित किया गया है** एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

श्रीमती कीर्ति द्वारा प्रस्तुत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रजिस्ट्रार जोधपुर दक्षिण, जोधपुर के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र कमांक **547374,** के अनुसार इनकी जन्म तिथि **27.06.1987 (सत्ताईस जून उन्नीस सौ सतासी)** है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल–चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है इसके लिए इनको कार्यभार सम्भालने की दिनांक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नही हो) प्रस्तुत करने होगें।
3. श्रीमती कीर्ति द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में तथा प्रस्तुत शपथ पत्रो व दस्तावेजो के मिथ्या पाये जाने की जानकारी होने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।
4. इन्हें प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान एवं कैलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक वर्ष से कम की अवधि में पूर्ण माहों के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्र प्रपत्र–ए में शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल ई स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नही पाया गया तो, उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवंटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
9. श्रीमती कीर्ति को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
10. चिकित्सा पुनर्भरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगीं।
11. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
12. श्रीमती कीर्ति को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर ।
2. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर को पत्र क्रमांक– F.1(1)/Doit.Jod/Estt./Gen./00216/2025, दिनांक 24.04.2025 के क्रम में।
4. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण / पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय,जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पदौन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, / (भुगतान शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (उपस्थिति पंजिका), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय,जयपुर।
9. **श्रीमती कीर्ति पत्नी स्व. श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, (सहायक प्रोग्रामर), निवासीः 82 भाग ब, गजसिंह विश्राम गृह के पीछे, राई का बाग, जोधपुर, पिन 342006 (राज.), मो. 8619954779। को प्रेषित कर लेख है कि कृपया मूल दस्तावेंज एवं मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेकर पदस्थापन कार्यालय में उपस्थित होने का श्रम करें। (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)**
10. निजी / रक्षित पत्रावली।

संस्थापन अधिकारी

Document certified by SANJAY JAGDISH KARNIK <sjkarnik.doit@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Sanjay Jagdish Karnik
Designation : Joint Secretary
Date :04-06-2025 12:14:35